

प्रेषक,

अपर सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद  
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,  
एन०डी० हायर सेकेण्डरी स्कूल,  
नौपुरा, आगरा।

पत्रांक : मा०शि०प० / मान्यता / मे० /

दिनांक— 27 जून, 2025

विषय: सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 6-10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आयोजित मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 516(3)/15-7-2025-1 (02)/2025 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 25 जून, 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 (यथा संशोधन 2022) की धारा 7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था एन०डी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, नौपुरा, आगरा को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2027 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के अधीन सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

#### सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 (यथा संशोधित-2022) की धारा 7(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 9-10 की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 9-10 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय। इस हेतु व्यय होने वाली धनराशि अपने निजी स्रोतों से प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- (5) यह मान्यता वित्तविहीन प्रदान की जा रही है। विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

26

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य नहीं होगी।
- (ग) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध योजित क्लियरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
- (घ) प्रदान की जा रही मान्यता का नवीनीकरण 03 वर्ष के उपरान्त कराना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी —इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)  
अपर सचिव  
माध्यमिक शिक्षा परिषद  
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०मेरठ

पृष्ठांकन सं०: मा०शि०प०/मान्यता /में० / 121 (1-4)

दिनांक— 27 जून, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव ( माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- ✓ 2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।

8/6/25  
(ज्योति प्रसाद)  
अपर सचिव  
3/6/25